

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

वी ३/१ अधेड़कर भवन, राजमहल रोड़ी ईरिया, जयपुर
क्रमांक:- एफ ९(०५)(१२-११) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि/२०१४-१५/

आदेश

जयपुर, दिनांक २०६/१२

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेशन नियम २०१३ के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है।

अध्याय-४ के नियम-५ के उपनियम (i) से (ix) को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :-

नियम-५. आवेदन प्रस्तुत करने एवं पेशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया:-

(i) ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक जिस पंचायत समिति में निवास कर रहा है उस पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को समझ प्रारूप एसएसपी-। में पेशन के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित आवेदक पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

इस के साथ ही आवेदक किसी भी ई-मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। आवेदक को ई-मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र संचालक को भामाशाह क्रमांक/भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक/आधार पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। भामाशाह क्रमांक के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड क्रमांक में अंटेक का अकिञ्चित विवरण फिर प्रिन्ट प्रमाणीकरण के पश्चात निर्धारित पेशन आवेदन पत्र में रहत अंकित हो जाएगा। ई-मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र संचालक द्वारा आवेदक के उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण के अतिरिक्त अन्य वाछित विवरण आवेदक से प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र संचालक उक्त आवेदन पत्र को ऑनलाइन ही जांच अधिकारी को अग्रेषित करेगा। सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र संचालक द्वारा आवेदन पत्र को अग्रेषित किये जाने की सूचना आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर दी जायेगी।

(ii) विहित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर एसएसपी-॥ का संधारण किया जायेगा।

(iii) ई-मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र संचालक द्वारा आवेदक से आवेदन से सम्बन्धित प्राप्त सम्पूर्ण विवरण को आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जांच अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। जांच अधिकारी उक्त आवेदन की जांच प्रपत्र संख्या एसएसपी-॥ से प्रिन्ट अंडर लेकर एन्ड्रोईड मोबाइल एप के द्वारा, प्रार्थी के घर पर जाकर नियमों में यथा परिभाषित उसके परिवार के सदस्यों के द्वितीय व्योरों के साथ साथ दस्तावेज से पात्रता की जाव करेगा। आवेदक की पात्रता के उद्दृष्टि के उपरान्त जांच अधिकारी आवेदक को उसके निवास स्थल के बाहर खड़ा/बैठाकर उसकी माध्याइल से फोटो लेता जांच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात मूल प्रारूप एसएसपी-। को अपनी सिफारिश के साथ स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को स्वीकृति आदेशों के लिए ऑनलाइन-वेब पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करेगा।

(iv) सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन पत्र की प्राप्ति के अधिकतम ३० दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी राजस्थान लोक सेवाओं के पदानी की मारणी २०११ के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का उत्तरदायी होगा।

(V) स्वीकार योग्य आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी प्रत्येक मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् या तो प्रारूप एस.एस.पी.। के भाग III में पेशन की स्वीकृति या दादे की अस्वीकृति संबंधी आदेश पारित करेगा। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति के आदेश डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा जारी किये जायेंगे। पेशन अस्वीकृत होने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा अदेशक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एस.एस.एस. द्वारा सूचना दी जायेगी। यह कार्य 15 दिवस की राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम-2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।

(VI) ऑनलाईन पेशन स्वीकृति आदेश के ही पेशः भुगतान आदेश मामले जाएगा। ऑनलाईन पेशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा पेशन भुगतान किया जायेगा। ऑनलाईन स्वीकृति के सम्बन्ध में पेशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की करने हेतु यूजर लॉगिन का स्वयं उपयोग किया जायेगा तथा पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया जायेगा। यदि यूजर लॉगिन या पासवर्ड का दुरुपयोग होता है तो पेशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑनलाईन जारी भुगतान की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम-2011 में विद्युत निर्धारित समय सीमा में की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।

[Signature]
(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

जापार दिनांक :

2/06/17

- क्रमांक:- एफ ९(०५)(१२- ॥) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि/2014-15/ 33202 जापार दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नानुकूलित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जारी किया जायेगा।
1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
 3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
 4. विशिष्ट सहायक, मान्याधिकारी महोदय, राजस्थान जयपुर।
 5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अधिकारिता विभाग एवं अवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
 7. निजी सचिव, वित्त/इमीण विकास एवं पर्यायत राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
 8. समस्त सभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
 9. उप शासन सचिव, वित्त (नियम अनुभाग)/(व्यय- 2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
 10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
 11. अतिरिक्त निदेशक(पेशन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 12. राज्यमन्त्री निदेशक (पेशन), निदेशकलय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
 13. श्री अ.आई.डी.टी.एस.पी.के.पी. निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।
 14. श्री रोहित शुक्ल, प्रमुख प्रशासनी विशेषज्ञ, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
 15. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
 16. समस्त उपस्थित अधिकारी/विकास अधिकारी।
 17. एसीपी (पेशन)/एसीपी (कम्प्यूटर प्रशासन) मुख्यालय।
 18. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
 19. आदेश पत्रावेती।

(डॉ. समित राणी)
निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव